



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 186]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 5, 2017/वैशाख 15, 1939

No. 186]

NEW DELHI, FRIDAY, MAY 5, 2017/VAISAKHA 15, 1939

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 अप्रैल, 2017

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (उपस्थिति अस्तित्व) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2017

सं. पीएफआरडीए/12/आरजीएल/139/9.—पेंशन निधि विनियामक और विकास अधिनियम, 2013 (2013 का 23), की धारा 52 की उपधारा (2) के खंड (ड.), (ठ.), (ड.) (ण.), और (त.) के साथ पठनीय उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण एतद्वारा पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (उपस्थिति अस्तित्व) विनियम 2015 में संशोधन करते हुए निम्न विनियम बनाता है नामतः-

- 1 इन विनियमों का नाम पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (उपस्थिति अस्तित्व) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2017 है।
- 2 यह आधिकारिक राजपत्र में उनकी प्रकाशन की तिथि को प्रवृत्त होंगे।
- 3 पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (उपस्थिति अस्तित्व) विनियम 2015 में:

(I) (i) विनियम 4 उप-विनियम (1) के खंड (घ) के बाद निम्नानुसार संशोधित सन्निविष्ट किया जाएगा

“उपरोक्त मानदंड नए भुगतान बैंकों, छोटे वित्त बैंकों और इसके सामान सेवाओं की पेशकश करने वाली संस्थाओं के संबंध में केवल उनके स्थापना तिथि से पांच वर्ष की अवधि के लिए लागू नहीं किये जायेंगे।”

हेमंत जी. कांटेक्टर, अध्यक्ष

[विज्ञापन-III/4/असा./46/17]

**PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY
NOTIFICATION**

New Delhi, the 28th April, 2017

**Pension Fund Regulatory and Development Authority (Point of Presence)
(Second Amendment) Regulations, 2017**

No. PFRDA/12/RGL/139/9.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 52 read with clauses (e), (l) (n), (o) and (p) of sub-section (2) thereof of the Pension Fund Regulatory and Development Authority Act, 2013 (23 of 2013), the Pension Fund Regulatory and Development Authority hereby makes the following regulations to amend the Pension Fund Regulatory and Development Authority (Point of Presence) Regulations 2015 namely:

1. These regulations may be called the Pension Fund Regulatory and Development Authority (Point of Presence) (Second Amendment) Regulations, 2017.
2. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
3. In the Pension Fund Regulatory and Development Authority (Point of Presence) Regulations 2015:-
 - (I) (i) After clause (d) of sub-regulation (I) of regulation (4) the following shall be inserted:

“Provided that the aforesaid criteria may not be applicable in respect of new Payment banks, Small Finance banks and entities offering like services, only for a period of five years from the date of their establishment.

HEMANT G. CONTRACTOR, Chairperson

[ADVT.-III/4/Exty./46/17]